Form no. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर

बुधराम पुत्र रामसिंह जाति जटसिख निवासी चक 1 डीपीएम बशीर तहसील टिब्बी तहसील जिला हनुमानगढ़

बनाम

सुरजाराम (मृतक) जरिये कानाराम पुत्र सुरजाराम जाति स्वामी निवासी बशीर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ आदि

किस्म मुकदमाः–प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11, 14 आवंटन नियम 1970 प्रकरण सं.–61/2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हए
24.03.2023	पत्रावली पेश हुई। बकुलाय फेरीकेन हाजिर। बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील प्रार्थी ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 01 सुरजाराम के नाम से तहसील टिब्बी के चक 10 एफटीपी के खाता संख्या 86/80 के पत्थर न. 195/240 के किला नम्बर 11, 12, 19 ता 22 में 1.518 है0 नहरी/अनकमाण्ड़ भूमि व पत्थर न. 195/241 के किला न. 1, 2, 8 ता 13 में 2.024 है0 कुल 3.542 है0 नहरी/अनकमाण्ड़ भूमि आवंटन शुदा थी व तहसील टिब्बी के चक 12 एफटीपी 'ए' के खाता संख्या 73/68 के पत्थर नम्बर 194/241 के किला नम्बर 3 ता 8, 14 ता 15 कुल 2.024 है0 नहरी/अनकमाण्ड़ बारानी भूमि आवंटनशुदा थी, जिस पर सुरजाराम का अपने जीवनकाल में खुद का व उसकी मृत्यु उपरांत उक्त दोनों चकों की भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1/1 ता 1/6 के नाम बतौर विरास्तन राजस्व रिकार्ड में अंकित हो चुकी है। जो पत्रावली में उपलबध जमाबंदी सम्वत 2061 ता 62 से साबित है। उक्त भूमि को छुपाते हुए स्वयं को भूमिहीन बताते हुए अप्रार्थी संख्या 01 सुरजाराम ने तहसील अनूपगढ़ के चक 2 यूडीएम के खाता संख्या 34/28 के पत्थर न. 260/408 के किला नम्बर 20/2, 21/2 में 0.266 है0 कमाण्ड़ पत्थर न.261/409 के किला न. 1/2, 2 ता 9 , 10/2, 11/2, 12 ता 15, 17 ता 19, 20/2, 21/2, 22/2, 23 की 4.769 है0 कमाण्ड़ पत्थर न. 261/410 किला न. 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 10 में 0.531 है0 कुल 5.566 है0 कमाण्ड़ भूमि आवंटन करवा ली जो पत्रावली में उपलब्ध जमाबन्दी सम्वत 2074–77 से साबित है। अतः शिकायत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 सुरजाराम को चक 2 यूडीएम का कुल 5.566 है0 कमाण्ड भूमि का आवंटन खारिज किया जावे। वकील अप्रार्थी संख्या 1/1 ता 1/6 ने दौराने बहस अपनी लिखित बहस के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि चक 2 यूडीएम के खाता संख्या 34/28 के पत्थर न. 260/408 के किला नम्बर 20/2, 21/2 में 0.266 है0 कमाण्ड़ पत्थर न. 261/409 के किला न. 1/2, 2 ता 9 , 10/2, 11/2, 12 ता 15, 17 ता 19, 20/2, 21/2, 22/2, 23 की 4.769 है0 कमाण्ड़ पत्थर न. 261/410 किला न. 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 10 में 0.531 है0 कुल 5.566 है0 कमाण्ड़ भूमि अप्रार्थीगण के पिता सुरजाराम के नाम से आवंटित हुई थी तथा उनके जीवनकाल मे उन्ही का कब्जा काश्त में थी। सुरजाराम के देहांत के पश्चात अप्रार्थी संख्या 1/3 मनफुलराम ने उक्त रकबा में से अपने हिस्सा की 1/6 भूमि विजेन्द्र कुमार पुत्र रामकिशन आदि को जरिये पंजीकृत बेयनामा दिनांक 12.10.2020 से बेचान कर दिया है। तथा उसी रोज से कब्जा खरीददार के पास है। अप्रार्थीगण के पिता सुरजाराम को तहसील टिब्बी के चक 10 एफटीपी का पत्थर न. 195/240, पत्थर न. 195/241 एवं चक 12 एफटीपी (ए) का पत्थर न. 194/241, 194/240 कमाण्ड/अनकमाण्ड़ कृषि भूमि दिनांक 29.02.1971 को आवंटित हुई थी। जबकि चक 2 युडीएम की भूमि अप्रार्थीगण के पिता सुरजाराम को दिनांक 28.10.1967 को 20 बीघा कृषि भूमि आवंटित हुई थी। बाद में दिनांक 01.02.1978 को 2 बीघा स्मालपेच में आवंटित हुई एवं दिनांक 16.11.1983 को पूर्व में आवंटित भूमि नहर एवं नर्सरी में आने के कारण 3 बीघा 4 बिस्वा भूमि बतौर क्षतिपूर्ति आवंटित हुई थी। इस प्रकार स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण के पिता सुरजाराम को चक 2 युडीएम में मुरब्बा न. 161/409 में 20 बीघा भूमि जब दिनांक 28.10.1967 को बतौर भाखड़ा भूमिहीन आवंटित हुई उस रोज अप्रार्थीगण के पिता सुरजाराम के पास अन्य कोई भूमि नहीं थी। चूंकि चक 10 एफटीपी व [illegible] एफटीपी (ए) वाली भूमि बाद में दिनांक 29.02.1971 को आवंटित हुई थी। [illegible] यह स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण के पिता सुरजाराम ने कोई तथ्य नहीं छुपाये है। अप्रार्थी[illegible] पिता को किया गया आवंटन विधि सम्मत है। सुरजाराम को आवंटित जैर [illegible] भूमि की खातेदारी सनद आज से 35–40 वर्ष पूर्व जारी हो चुकी है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के पश्चात आवंटन नियम लागू नहीं होते है। न्यायिक दृष्टांत एआईआर 1994 पेज 1128, आरबीजे 2011 पेज 524 की ओर ध्यान दिलाया।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Arvind Kumar Jakhar
Date: 2023.04.04 11:51:32 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Scanned with OKEN Scanner

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का गहनता से अवलोकन किया। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अप्रार्थी संख्या 01 सुरजाराम को दिनांक 28.10.1967 को हुए किये गये आवंटन को निरस्त करवाने की प्रार्थना पत्र की है, जो उसे बतौर भाखडा भूमिहीन के तौर पर आवंटन हुई। इस आवंटन के समय किये गये आवंटन के आलावा अन्य कोई भूमि अप्रार्थी के पिता सुरजाराम के पास नहीं थी। चक 12 एफटीपी व चक 10 एफटीपी की भूमि दिनांक 29.02.1971 को आवंटित हुई है। जिससे यह जाहिर होता है कि आवंटन दिनांक 28.10.1967 के समय अप्रार्थी संख्या 01 सुरजाराम भूमिहीन कृषक था। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत एआईआर 1994 पेज 1128 बृजलाल बनाम सरकार में माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्णय पारित किया है कि आवंटी को भूमि दो दशक से पूर्व आवंटित हुई हो और वह उसे काश्त कर रहा हो ऐसी स्थिति में उसका आवंटन निरस्त किया जाना न्यायिक प्रकिया का दुरूपयोग ही माना जावेगा। हस्तगत प्रकरण में जैर प्रार्थना पत्र भूमि अप्रार्थी संख्या 01 सुरजाराम को लगभग 60 वर्ष पूर्व आवंटित हुई थी, जो लगातार उसके कब्जा काश्त में है। मूल आवंटिती की मृत्यु हो चुकी है, ऐसी अवस्था में उक्त आवंटन खारिज किया जाना न्योचित नहीं है। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1/1 ता 1/6 द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत प्रकरण में भलीभांती चस्पा होते है। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा तथ्य छुपाकर आवंटन करवाया जाना साबित नहीं होता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सारहीन होने से निरस्त योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी सारहीन होने से निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति तहसीलदार अनूपगढ़ को पालनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तकमील तरतीब नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरविन्द कुमार जाखड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Arvind Kumar Jakhar
Date: 2023.04.04 11:51:32 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner